

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्र०क्र० / / पी०बी०आर० / अन्तरण / 2014

सिबिच 3291- PBR/14

माधव स्ट्रक्चर एवं डेवलपर्स - पार्टनरशिप फर्म  
प्रमुख कार्यालय विक्रम सोसाइटी, 1 गोत्री रोड, बडोदरा  
शाखा कार्यालय एच.आई.जी-12, अंकुर काम्पलेक्स फेस-2,  
शिवाजी नगर, छ: नम्बर बस स्टाप के पास, भोपाल

द्वारा पार्टनर्स

- 1- श्री अशोक खुराना वल्द श्री माधवदास खुराना  
उम्र लगभग-70 वर्ष, मूल निवासी-1 विक्रम सोसायटी,  
गोत्री रोड बडोदरा, (गुजरात)
- 2- श्री सी मोहनन वल्द श्री शंकरन उम्र लगभग 60 वर्ष,  
मूल निवासी-एल-122 दत्त नगर, अम्बिका नगर के पास,  
गोत्री, बडोदरा (गुजरात)
- 3- सी सुरेन्द्रन वल्द श्री शंकरन उम्र लगभग 55 वर्ष  
मूल निवासी-ए-22, योगी नगर, अम्बिका नगर के पास,  
गोत्री, बडोदरा, गुजरात,  
समस्त वर्तमान निवासी-एच.आई.जी-12,  
अंकुर काम्पलेक्स, फेस-2, शिवाजी नगर,  
छ: नम्बर बस स्टाप के पास, भोपाल

---आवेदक

श्री डी.डी. मैचानी

अभिभाषक द्वारा

आज दिनांक 25-9-14

को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।

*(Signature)*

बनाम

म०प्र०.शासन


आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-29 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 3291-पीबीआर/14

जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-10-2014	<p>आवेदक की ओर से श्री डी0डी0 मेघानी अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । आवेदक पत्र ग्राह्य किया जाता है । इस प्रकरण में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि क्या अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रचलित अपील को आयुक्त के न्यायालय में अंतरित किया जाये अथवा नहीं । अतः अभिलेख मंगाने अथवा शासन को सुनने की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि पूर्व में अपील आयुक्त द्वारा ग्राह्य की जाकर अपर आयुक्त को अंतरित कर दी गई थी । वर्तमान में अपर आयुक्त का पद पिछले 6 माह से भी अधिक समय से रिक्त है । अतः न्यायहित में अपील सुनवाई हेतु आयुक्त के न्यायालय में अंतरित कर दी जाये । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त के सबक्ष प्रचलित अपील प्रकरण क्रमांक 413/अपील/13-14 सुनवाई हेतु आयुक्त के न्यायालय में अंतरित की जाती है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है ।</p>	<p>Plg 15/10/14</p> <p> अध्यक्ष</p>